न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः टी.ए. 14/2015

पंजीयन दिनांकः 16.04.2015

रणजीतसिंह पिता शिवसिंह जाति राजपूत निवासी रोड जी का खेडा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. गैन्दकंवर पिता गिरधारी सिंह पत्नि गोकलसिंह जाति राजपुत निवासी जोजरो का खेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
2. सुरेशकंवर पिता गिरधारी सिंह पत्नि शक्तिसिंह जाति राजपुत निवासी लालास तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. बेनीकंवर पिता गिरधारसिंह पत्नि रघुवीरसिंह जाति राजपुत निवासी चेनपुरा तहसील व जिला नीमच
4. पिन्टु कंवर पिता गिरधारीसिंह पत्नि रामसिंह जाति राजपुत निवासी आकोला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
5. सोहनकंवर बेवा गिरधारीसिंह जाति राजपुत निवासी रोडजी का खेडा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
6. भूमिधारी तहसीलदार डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
7. उप–तहसीलदार मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला प्रकरण संख्या 38/2014 रेवेन्यू प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 31.03.15

उपस्थित वक्त बहसः 1. छोगालाल जाट – अधिवक्ता अपीलान्ट
2. मनोहर दक – रेस्पोडेन्टगण–1 से 5
3. पूरणमल स्वर्णकार –राजकीय अभिभाषक–6 व 7

निर्णय **दिनांक 07.06.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलान्ट प्रार्थी ने रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण 1 से 5 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

अधिनियम 1955 के तहत मोजा रोडजी का खेडा तहसील डूंगला के खाता सं. 14 मे दर्ज आराजी नम्बर 26,27,28,29,165 कुल किता 5 कुल रकबा 2.21 हैक्टेयर तथा खाता सं. 15 के आराजी नम्बर 2 रकबा 2.86 हैक्टेयर व खाता सं. 16 के आराजी नम्बर 34 रकबा 0.89 हैक्टेयर उक्त आराजीयात अपीलान्ट प्रार्थी व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 की पुश्तैनी एवं पैतृक आराजीयात है। उक्त कृषि आराजीयात मुल पुरुष शिवसिंह के समय से चली आ रही है। उनकी मृत्यु के पश्चात् 4 संताने गिरधारीसिंह अपीलान्ट व डुंगरसिह पृथ्वीसिह के नाम विरासत से आई। मुल पुरुष शिवसिंह के पुत्र गिरधारीसिंह के स्वर्गवास के पश्चात् रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के नाम पर विरासती इंतकाल खोला गया जबकि गिरधारी सिह के कोई जायन्दा पुत्र नही होने से उसने अपने जीवनकाल मे अपीलान्ट प्रार्थी को अपनी सम्पूर्ण चल - अचल सम्पत्ति के लिये उत्तराधिकारी बना दिया। व उसकी मृत्यु के पश्चात् सम्पूर्ण कृषि आराजीयात गिरधारीसिह की मृत्यु के पश्चात् सामाजिक रिति-रिवाज अनुसार अपीलान्ट प्रार्थी को पगडी बंधवाकर गिरधारीसिंह जी की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उस समय रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 उसकी पत्नि रेस्पोडेन्ट सं. 5 भी उपस्थित थी जिन्होने ने समाज के पंचो के समक्ष अपीलान्ट प्रार्थी को उत्तराधिकारी बनने की सहमति दी। उस समय से आज तक अपीलान्ट प्रार्थी गिरधारीसिह की कृषि आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। गिरधारीसिह की मृत्यु के पूर्व ही उसने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 का विवाह करवाकर सामाजिक रिति-रीवाज अनुसार उनका कन्यादान करके अपने सभी दायित्वो को पुरा कर दिया था। तभी से वह अपने-अपने ससुराल मे निवास कर रही है। परन्तु उत्तराधिकार नियमो के अनुसार राजस्व रेकार्ड मे गिरधारीसिंह के बजाय विरासती इंतकाल मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 का नाम अंकित कर दिया जिस पर अपीलान्ट प्रार्थी ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 को कहा कि मै आपके पिता का उत्तराधिकारी हूँ मेरा नाम राजस्व रेकार्ड मे क्यो नही अंकित करवाया तो रेस्पोडेन्ट गण ने विश्वास दिलाया कि हमारे नाम जमीन आ गई है आपके नाम करवा देगे। परन्तु रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के मन मे बदयन्ति आने से राजस्व रेकार्ड मे अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर गिरधारीसिह की अचल सम्पत्ति जो वर्तमान मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के नाम पर है उसे अन्य को विक्रय करने पर आमादा है। अपीलान्ट रेस्पोडेन्टगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का उत्तराधिकारी होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया व प्रार्थना पत्र मे यह निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 गिरधारीसिंह की जायन्दा पुत्रियां है। जिन्होने अपने जीवनकाल मे ही विवाह सम्पन्न करवा दिया था। गिरधारीसिंह के पुत्र संतान नही होने से अपीलान्ट छोटा भाई था को अपना उत्तराधिकारी कायम कर दिया। तभी से अपीलान्ट प्रार्थी ही गिरधारीसिंह की सम्पूर्ण कृषि आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। गिरधारीसिह की मृत्यु होने पर सभी क्रियाकम अपीलान्ट प्रार्थी ने सम्पन्न करवाये जिससे अपीलान्ट प्रार्थी के ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट बेराज पेशी उपस्थित हुए। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि गिरधारीसिह ने अपने जीवनकाल मे किसी कोई को उत्तराधिकारी नही बनाया न ही कोई सम्पत्ति सुपुर्द की। गिरधारी सिंह कभी बीमार नही रहा वे स्वस्थ्य थे। सड़क दुर्घटना मे अचानक उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु से पूर्व व स्वंय खेती करते थे तथा करवाते थे। अपीलान्ट द्वारा कभी भी गिरधारीसिह का हिस्सा काश्त नही किया। न ही कब्जा चला आ रहा है। गिरधारीसिह के हिस्से पर उनके वारिस रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 ही मौके पर सिजारे से काश्त करवा रहे है। स्वंय गिरधारीसिह के जीवनकाल मे सिजारे से भेरूलाल बंजारा काश्त करता था। उनके मरने के बाद भी भेरूलाल बंजारा ही खेती कर रहा है। अभी गत वर्ष जुलाई अगस्त सितम्बर मे भेरूलाल बंजारा ने ही काश्त की है। गिरधारीसिह की पगडी अपीलान्ट प्रार्थी को बंधवाने का कथन गलत है। स्वंय गिरधारीसिह का स्वामी वासल्य व सामाजिक क्रियाकर्म रेस्पोडेन्ट सं. 1 से मिलकर 5 ने किया। रेस्पोडेन्टगण द्वारा कभी भी अपीलान्ट को उत्तराधिकारी बनाने पर सहमति नही थी। अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा स्वर्गीय गिरधारीसिह की जमीन पर काबिज होकर काश्त करना गलत है। क्योकि रेस्पोडेन्ट द्वारा काश्त करवाई जा रही है। रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण दोनो की शादियां गिरधारीसिंह ने करवाई। राजस्व रेकार्ड मे नामान्तकरण उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के नाम खोला गया व सही खोला गया। अपीलान्ट का कोई हक अधिकार नही है। न ही गिरधारीसिंह ने अपने जीवनकाल मे अपीलान्ट को अपना उत्तराधिकारी बनाया गया। अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करवाये जाने का कोई आधार नही है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 के पिता रेस्पोडैन्ट सं. 5 के पति गिरधारीसिह की मृत्यु हो जाने से उनके सारे सामजिक क्रियाकर्म रेस्पोडेन्टगण द्वारा करने से काफी कर्जा हो जाने से जमीन बेच कर कर्जा करने उतारने की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस कारण रेस्पोडेन्टगण को जमीन बेचनी पडी। बिना कुछ लिये दिये ही अपीलान्ट हडपना चाहता है। तथा व जमीन नही प्राप्त कर सका तो विपक्षीगण रेस्पोडेन्टगण को दबाने के लिये झुठा वादपत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो निरस्त किया जावे।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अधीनस्थ प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षो की बसह सुनी गई। व रेस्पोडेन्टगण के जवाब मे यह निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्टगण ने यह विवादित आराजीयात विरासत से रेस्पोडेन्टगण के नाम दर्ज होने के पश्चात् दिनांक 22.08.2014 को गौरीशंकर बंजारा को 1180000 रू. मे विक्रय कर दी है। विक्रय पत्र की फोटो प्रति अधीनस्थ विचारण न्यायायल मे विक्रय पत्र की फोटो प्रति जवाब के साथ प्रस्तुत की गई जिसमे अपीलान्ट प्रार्थी ने क्रेता गौरीशंकर बंजारा को

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

पक्षकार मुकदमा कायम नही किया। जिससे अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होना मानते हुए निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया।

अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से अंसतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय मे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर निरस्त किया है। खातेदार स्वर्गीय गिरधारीसिंह प्रार्थी अपीलान्ट का सगा भाई रहा है। गिरधारीसिंह के चार पुत्रियां रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 विपक्षीयागण है जिनका विवाह गिरधारीसिंह ने अपने जीवनकाल मे सम्पन्न करवा दिया था जो कुछ देना-लेना था वह भी गिरधारीसिंह ने अपने जीवनकाल मे कर दिया था। गिरधारीसिंह के पुत्र नही होने से गिरधारीसिह की मृत्यु के पश्चात् अपीलान्ट प्रार्थी ने गिरधारीसिंह के सामाजिक क्रियाकर्म किये व गिरधारीसिंह की पगडी भी अपीलान्ट प्रार्थी के बंधाई गई जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 जो गिरधारीसिंह के उत्तराधिकारी रहे है जो सहमत रहे है। गिरधारीसिंह की मृत्यु के पश्चात् अपीलान्ट ही काबिज होकर उपयेाग उपभोग करता चला आ रहा है जिससे अपीलान्ट प्रार्थी विवादित कृषि आराजीयात की घोषणा कराने व रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर निरस्त किया है जिससे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 ने अपनी बहस मे निवेदन किया प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि आराजीयात गिरधारीसिह के खातेदारी की थी व गिरधारीसिह की मृत्यु के पश्चात् विरासत से रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के नाम दर्ज रेकार्ड की गई है। उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के नाम दर्ज रेकार्ड होने से रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 ने मिलकर उक्त कृषि आराजीयात जरिये पंजीकृत बहनामा दिनांक 22.08.14 से उक्त कृषि आराजीयात गौरीशंकर पिता धुला बंजारा निवासी धुलाखेडा तहसील डूंगला को विक्रय की गई उसके पश्चात् अपीलान्ट प्रार्थी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे दिनांक 03.09.2014 को वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे क्रेता गौरीशंकर को पक्षकार मुकदमा कायम नही किया है जबकि विवादित कृषि आराजीयात मे क्रेता गौरीशंकर का हित निहित हो चुका था। खरीद दिनांक से गौरीशंकर उक्त कृषि आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति मे गौरीशंकर को पक्षकार मुकदमा बनाये बगैर प्रार्थना पत्र चलने

राजस्व अपील प्राधिकारी

योग्य नही था। अपीलान्ट प्रार्थी का यह कथन कि गिरधारीसिंह की पगडी अपीलान्ट प्रार्थी को बंधाई गई। पगडी बंधा देने से गिरधारीसिंह का कोई हित निहित नही माना जा सकता है। इन सभी तथ्यो का विश्लेषण कर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना निरस्त किया है, जो विधिसम्मत है। अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व विपक्षीगण के जवाब प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इन तथ्यो के आधार पर निरस्त किया है कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा उक्त कृषि आराजीयात क्रेता गौरीशंकर को दिनांक 22.08.2014 को विक्रय कर दी थी। ऐसी स्थिति मे क्रेता गौरीशंकर प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार है। यह भी माना गया है कि रेकार्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी मे दर्ज हक व हिस्से को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है, केवल उत्तराधिकारी कहकर आने से रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रचलित करने की विधि अनुमति प्रदान नही करती है। अपीलान्ट प्रार्थी ने स्वर्गीय गिरधारीसिंह का उत्तराधिकारी होने के सम्बन्ध मे कोई ठोस दस्तावेज अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत नही किया गया है। मौखिक तथ्यो के आधार पर गिरधारीसिंह का उत्तराधिकारी होना बताते हुए वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी घोषित कराने व विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराने हेतु निर्देश देते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपीलान्ट निरस्त करने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय का आदेश विधिनुसार होने से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के आदेश मे हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील संहवनीय नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रार्थी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला प्रकरण संख्या 38/2014 प्रार्थना पत्र निर्णय व आदेश दिनांक 31.03.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़